न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

विविध आवेदन पत्र संख्या 40 / 2011

प्राथीगण — बनाम — अप्रार्थीगण

विकास अधिकारी
पंचायत समिति बाड़मेर

1 ग्राम पंचायत गागरिया
द्वारा सरपचं
2. आदर्श विद्या मन्दिर
गागरिया स्टेशन
तहसील रामसर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 108 दिनांक 20.8.2004 जो ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 आदर्श विद्या मन्दिर गागरिया स्टेशन के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः—1. श्री रतनाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अम्बालाल जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 31.8. 2016

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी भूखण्ड का पट्टा संख्या 108 दिनांक 20.8.2004 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 02 ने सरंपच ग्राम पंचायत गागरिया के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम पंचायत गागरिया की आबादी भूमि पर उसका कब्जा है, जिस पर विद्यालय भवन निर्माण हेतु विक्रय विलेख प्रदान कराया जावें। इस पर ग्राम पंचायत गागरिया ने पत्रावली कायम कर अप्रार्थी संख्या 02 को नियम 156(2) के तहत भूखण्ड का पट्टा संख्या 108 दिनांक 20.682004 को जारी किया। प्रार्थी का यह कथन हैं कि अप्रार्थी संख्या 02 को जारी किया गया पट्टा नियम 156 प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए अपार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त किया जावें।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत गागरिया से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया।

4. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत के रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 02 को यह पट्टा नियम 156(2) के तहत जारी करना बताया। नियम 156(2) अनुसार किसी भी मामले में ऐसी आबादी भूमि उप रजिस्ट्रार द्वारा नियम और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत से नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जाएगी। ग्राम पंचायत गागरिया ने अप्रार्थी संख्या 02 को 1500 वर्गफुट भूमि राशि 7650/– वसूल कर पट्टा जारी किया गया। जबकि इस नियम के तहत निर्धारित वाणिज्यिक दर 60/– प्रति वर्ग फीट थी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा हेतु वाणिज्यिक दर 60/–रूपये से 236250/– कीमत बनती है। जबकि ग्राम पंचायत गागरिया ने 7650/– वसूल कर पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 02 से राशि 229500/– वसूल योग्य बनती है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा वसूली योग्य राशि 229500/– (अक्षरे रूपये दो लाख उन्तीस हजार पांच सौ मात्र) चैक संख्या 057778 दिनांक 22.8.2016 के द्वारा ग्राम पंचायत गागरिया को जमा कराते हुए ग्राम पंचायत गागरिया की रसीद संख्या 02 दिनांक 23.8.2016 की छाया प्रति पेश की है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा बकाया राशि ग्राम पंचायत गागरिया को जमा करवा दी गई है। अप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा संख्या 108 दिनांक 20.8.2004 विधि सम्मत जारी किये जाने के प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप पक्षकारान द्वारा सहमति के आधार पर बकाया राशि जमा होने से प्रकरण का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाती है एवं ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 आदर्श विद्या मन्दिर गागरिया स्टेशन के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 108 दिनांक 20.8.2004 यथावत रखा जाता है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निर्णय आज दिनांक 31.8..2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)